न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–52/2023

ललन यादव...वादी

बनाम

मु0 सुनैना देवी एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
20.12.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। आवेदकगणों की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 10.06.2024 अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को आवेदकगणों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के वादी ललन यादव की मृत्यु दिनांक 19.05.2024 को हो चुका है। मृतक अपने पीछे अपने विधिक वारिसानों के रूप में अपनी पत्नी मु0 अमलावती देवी पुत्र विजय यादव, राजू यादव, संजय यादव एवं पुत्री रीमा देवी, सिमा देवी एवं प्रतिमा देवी को छोडकर मरे। अतः प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार कर मृतक के स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाय। प्रतिवादीगण की ओर से आवेदकगणों के आवेदन पर नो आब्जेक्शन लिखा गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के एक मात्र वादी ललन यादव की मृत्यु हो चुकी है, जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। आवेदकगणों द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा आवेदन समय सीमा से दाखिल किया गया है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमन K Rudrappa V/S Shivappa AIR 2004, SC 4346 एवं Ganesh Prasad Badrinath Lahoti V/S Sanjeev Prasad Jamuna Prasad Chaurasia AIR 2004, SC 4158 के आलोक में तथा न्यायहित में आवेदकगणों की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 10.06.2024 स्वीकार किया जाता है, तद्नुसार मृतक के स्थान पर आवेदन में वर्णित मृतक	

<u>न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–52/2023</u>

ललन यादव...वादी

बनाम

मु0 सुनैना देवी एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **20.12.2024**	के विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जाती है। वाद दिनांक 17.02.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	